संख्या-8/2018/423/सत्रह-म-2018-6-9(1)/2018

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 23 मार्च, 2018

विषय - प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु रू0 247500/- (रू0 दो लाख सैतालीस हजार पॉच सौ मात्र) के अग्रिम आहरण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-118/स्था0शा0/टी0पी0-2/2015-16, दिनांक 17 मार्च,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष -2017-18 में प्रशिक्षण की विभिन्न मदों में उपलब्ध / अवशेष धनराशि रू0 2,75,000/- (रू0 दो लाख पचहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु रू0 247500/-(रू0 दो लाख सैतालीस हजार पॉच सौ मात्र) के अग्रिम आहरण करने की प्रशासकीय व वित्तीय अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-109- विस्तार तथा प्रशिक्षण, 03- मत्स्य पालन शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना 44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में उपलब्ध धनराशि रू0 2.00 लाख में से रू0 1.875 लाख (रू0 एक लाख सत्तासी हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरानगर लखनऊ में प्रशिक्षण कार्य हेतु तथा लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-001-निदेशन तथा प्रशासन, 03- अधिष्ठान, 44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रसांगिक व्यय में उपलब्ध धनराशि रू0 0.25 लाख (रू0 पच्चीस हजार मात्र) व लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-800- अन्य व्यय, 03-अनुसंधान-सामान्य, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में उपलब्ध धनराशि रू0 0.50 लाख (रू0 पचास हजार मात्र) अर्थात रू0 0.75 लाख (रू0 पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि में से रू0 0.60 लाख (रू0 साठ हजार मात्र) इन्दिरा गॉधी सहकारी प्रबन्ध् संस्थान राजाजीपुरम, लखनऊ में प्रशिक्षण कार्य हेतु अर्थात कुल उपलब्ध / अवशेष धनराशि रू0 2.75 लाख (रू0 दो लाख पचहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु कुल धनराशि रू0 2.475 लाख (रू0 दो लाख सैतालीस हजार पॉच सौ मात्र) के अग्रिम आहरण करने की प्रशासकीय व वित्तीय अनुमति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शाासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15-1(1)-69 दिनांक 25.10.1983, शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69 दिनांक 10.06.2011, शासनादेश् संख्या-17।2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017 दिनांक 15

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

नवम्बर,2017 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1/(1)/69 दिनांक 18 सितम्बर, 2017 के अन्तर्गत निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत शासनादेशों, नियमों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए व्यय किया जायेगा। इसमें यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक मत्स्य का होगा।

(3) धनराशि के व्यय के उपरान्त यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होगे तथा अवशेष धनराशि राज्य सरकार के सुसंगत प्राप्त लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

(4) उ0प्र0 बजट मैनुअल के आठवें अध्याय के अनुलग्नक -ए के अनुसार अपेक्षित विवरण अवश्य रखा जाय/ उपलब्ध कराया जाय।

(5) उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में स्पष्ट किया गया है कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगे कि व्यय का कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के इतर रखा जाय।

(6) धनराशि सम्बंधित संस्था/कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक मत्स्य का होगा।

(7) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बंधित सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन चालू वित्तीय वर्ष 2017-18की समाप्ति तक अवश्य करा लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्ताकिंत ऑकडों में भी समायोजन करा दिया जायेगा ।

4- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक - 2405- मछली पालन-109- विस्तार तथा प्रशिक्षण,03- मत्स्य पालन शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना,44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय तथा 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03- अधिष्ठान 44- प्रशिक्षण यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय एवं 800- अन्य व्यय, 03- अनुसंधान-सामान्य, 44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के नामें डाला जायेगा।

भवदीय

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

संख्या- 8/2018/ 423(1)/ सत्रह-म-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- संयुक्त निदेशक (मत्स्य), मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
5- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3/वित्त(लेखा) अनुभाग-1 ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।